	संशोधन) नियमावली–2014 में दी गई व्यवस्था के अनुसार रजिस्ट्रार कानूनगो/सहायक रजिस्ट्रार कानूनगो/ मूलेख लिपिक का 9 प्रतिशत कोटा आरक्षित रखते हुए, राजस्व निरीक्षक के 41 प्रतिशत कोटे में से 10 प्रतिशत सीधी भर्ती एवं 31 प्रतिशत लेखपाल संवर्ग से प्रोन्नत राजस्व निरीक्षक हेतु निर्धारित किया जाये।	कानूनगों व मूलेख लिपिक के मध्य 41 प्रतिशत एवं 09 प्रतिशत का कोटा निर्धारित है। सीधी भर्ती के राजस्व निरीक्षकों को नायब तहसीलदार के पदों पर पदोन्नति पर दस प्रतिशत कोटा निर्धारित किये जाने को औचित्यपूर्ण नही पाया गया है। इस संबंध में निर्णय लिया गया कि पदोन्नत राजस्व निरीक्षकों को पॉच वर्ष की अर्हकारी सेवा के पश्चात जब भी विलम्ब से पदोन्नति होती है तो उन्हें प्रति 5 वर्ष की सेवा अवधि पर गुणक के रूप में एक वर्ष वरिष्ठता का लाभ दिया जाये ताकि नायब तहसीलदार के पदों पर इनको भी पर्याप्त अवसर मिल सके।
(छ)	नायब तहसीलदार के सीधी भर्ती के 50 प्रतिशत पदों में से 10 प्रतिशत पद सीधी भर्ती की अर्हता पूरी करने वाले लेखपालों से विभागीय परीक्षा के माध्यम से भरे जाये।	नायब तहसीलदार के पदो पर प्रोन्नति राजस्व निरीक्षक सम्वर्ग से सीधी भर्ती एवं प्रोन्नत राजस्व निरीक्षक से की जाती है। लेखपाल पोषक सम्वर्ग से राजस्व निरीक्षक पदों पर पदोन्नति किया जाता है। अतः सम्यक विचारोपरान्त लेखपाल संघ की मॉग औचित्यपूर्ण नहीं पायी गई।
5–	नई पेंशन व्यवस्था लागू होने की तिथि 01 अप्रैल, 2005 से पूर्व लेखपाल पद पर चयनित ऐसे लेखपालों को भी तत्काल जी0पी0एफ0 कटौती / पुरानी पेंशन व्यवस्था का लाभ प्रदान किया जाय, जिनकी नियुक्ति 01–4–2005 के पश्चात की गयी हो।	प्रश्नगत प्रकरण में उत्तर प्रदेश शासन के वित्त सामान्य अनुभाग–3 के शासनादेश संख्या – सा–3:1051/दस–2008–30(9)–2003, लखनऊ, दिनांक 14–8–08 न्यू पेंशन स्कीम में उल्लिखित है कि–2 (1) यह व्यवस्था दिनांक 01 अप्रैल 2005 को अथवा उसके बाद सेवा में आने वाले कर्मचारियों पर अनिवार्य रूप से लागू होगी। किन्तु जो कर्मचारी उक्त व्यवस्था लागू होने से पूर्व तत्समय प्रचलित उत्तर प्रदेश लेखपाल सेवा नियमावली की व्यवस्थानुसार चयनित किये जा चुके थें लेंकिन उन्हें नियुक्ति प्राप्त नहीं हुई थी, के प्रकरण पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किये जाने हेतु शासन को संस्तुति प्रेषित किये जाने का मा0 परिषद द्वारा निर्णय लिया गया है।

कार्यालय, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश, अनुभाग–4, लखनऊ।

संख्याः जी-163 /4–39ए/85टी0सी0(2), दिनांकः 01 जून 2016

संख्या व दिनांक उपरोक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग,उ0प्र0शासन,राजस्व अनुभाग–9,लखनऊ।

2– निजी सचिव मा0 अध्यक्ष/आयुक्त एवं सचिव,राजस्व परिषद,उ0प्र0,लखनऊ

3– महामंत्री उ0प्र0लेखपाल संघ।

1.6.16

(जगदीश प्रसाद)

अपर भूमि व्यवस्था आयुक्त,

कृते आयुक्त एवं सचिव।